

**BEFORE THE AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS
FOR THE STATE OF UTTARAKHAND
(Goods and Services Tax)**

समक्ष अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी उत्तराखण्ड (माल और सेवा कर)

Present:

Shri Vipin Chandra (Member)

श्री विपिन चन्द्र (सदस्य)

Shri Amit Gupta (Member)

श्री अमित गुप्ता (सदस्य)

The 20th day of April, 2018

Ruling No 01 /2018-19

अग्रिम विनिर्णय संख्या.

In

Application No: 06

आवेदन संख्या. 06

1	Applicant आवेदक	M/s National Construction, 16, Awas Vikas NH-87 Rudrapur, U.S.Nagar, Uttarakhand. सर्वश्री नेशनल कन्स्ट्रक्शन, 16, आवास विकास एन.एच.-87, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
2	Jurisdictional Officer अधिकारिता अधिकारी	Deputy Commissioner(Assessment)-1, Rudrapur. उपायुक्त (क0नि0)-1, रुद्रपुर।
3	Present for the Applicant आवेदक की ओर से उपस्थित	Shri Abhishek Kumar Maurya, CA श्री अभिषेक कुमार मौर्या, अधिकृत प्रतिनिधि
4	Present for the Jurisdictional Officer अधिकारिता अधिकारी की ओर से उपस्थित	Shri. Nishikant Singh Deputy Commissioner, Rudrapur. श्री निशिकान्त सिंह, उपायुक्त, रुद्रपुर।
5	Date of receipt of application आवेदन प्राप्ति की तिथि	23.02.2018 23.02.2018
6	Date of Personal Hearing सुनवाई की तिथि	02.04.2018 02.04.2018

Note : Under Section. 100(1) of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, an appeal against this ruling lies before the appellate authority for advance ruling constituted under section- 99 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, within a period of 30 days from the date of service of this order.

नोट : इस अग्रिम विनिर्णय की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा- 99 के अन्तर्गत गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी के समक्ष धारा- 100(1) के अन्तर्गत अपील दायर की जा सकती है।

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी उत्तराखण्ड (माल और सेवा कर)

अग्रिम विनिर्णय

1. अग्रिम विनिर्णय हेतु यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री नेशनल कन्स्ट्रक्शन, 16, आवास विकास एन. एच.-87, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड द्वारा CGST/SGST Act, 2017 की धारा-97(1) के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुत क्रिया गया है:-

Whether Credit of Uttarakhand VAT Paid on construction material such as cement, sand, steel etc. held in closing as on 30.06.2017 is allowed to be carried forward as transitional credit as Uttarakhand GST under GST regime?

If yes, then whether it is allowed when the assessee had opted for composition scheme under Uttarakhand VAT laws.

2. अग्रिम विनिर्णय से किसी प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदक को धारा-97 की उपधारा (2) या धारा-100 की उपधारा (1) में मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है;

3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-97 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नांकित के सम्बन्ध में अग्रिम विनिर्णय हेतु पृच्छा की जा सकती है-

- (क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना;
- (ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण;
- (घ) संदत्त या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता;
- (ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण;
- (च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है;
- (छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बराबर या उनकी पूर्ति के रूप में होता है।

4. आवेदक द्वारा औद्योगिक/व्यवसायिक भवनों एवं तत्संबन्धी ढांचों का निर्माण किया जाता है। अपने व्यवसाय के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 30.06.2017 को उनके पास उपलब्ध कर प्रदत्त सीमेन्ट, रेत, स्टील इत्यादि से सम्बन्धित आईटीसी के GST Regime में अग्रसारित किये जा सकने एवं वैट के अन्तर्गत कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लिये जाने पर भी उक्त स्टॉक पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत आईटीसी के अनुमन्यता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है। उक्त प्रश्न धारा-97 (2)(घ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, तदनुसार अग्रिम विनिर्णय हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राह्य है।

5. आवेदक द्वारा इप्सित प्रश्न के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी श्री निशिकान्त सिंह, डिप्टी कमिश्नर (कर-निर्धारण)-1, रुद्रपुर द्वारा आवेदक के वैट अवधि में कम्पोजिशन का विकल्प लिये जाने एवं उठाये गये प्रश्नों के पहले से ही लम्बित न होने अथवा आवेदक के किसी मामले में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के उपबन्धों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय न किये जाने की पुष्टि करते हुए आवेदक को इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य होने के सम्बन्ध में मत व्यक्त किया गया।

6. आवेदक की ओर से श्री अभिषेक कुमार मौर्या, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-140(6) में निहित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आईटी0सी0 अनुमन्य होने के सम्बन्ध में तर्क रखे गये।

7. प्रश्नगत मामले में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का परिशीलन किया गया। इप्सित पृच्छा निम्न प्रकार दो भागों में है:-

➤ Whether Credit of Uttarakhand VAT Paid on construction material such as cement, sand, steel etc. held in closing as on 30.06.2017 is allowed to be carried forward as transitional credit as Uttarakhand GST under GST regime?

➤ If yes, then whether it is allowed when the assessee had opted for composition scheme under Uttarakhand VAT laws.

8. पृच्छा के प्रथम भाग के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-6(8)(k) अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार है:-

6(8) No input tax credit shall be allowed on purchases of goods, other than the Capital Goods, when-

(k) goods sold by way of transfer or property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract; or

वैट अधिनियम की धारा-6(8)(k) में निहित उपरोक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अतः ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-140(1) के अन्तर्गत निहित प्रावधान के आवेदक के मामले में लागू नहीं होते। अतः नियत दिन 01 जुलाई 2017 से ठीक पूर्ववर्ती दिन 30.06.2017 को समाप्त होने वाली अवधि से सम्बन्धित विवरणी में इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रणीत किये जाने सम्बन्धी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

9. प्रस्तर संख्या 7 में उल्लिखित पृच्छा के द्वितीय भाग If yes, then whether it is allowed when the assessee had opted for composition scheme under Uttarakhand VAT laws के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-140(6) अवलोकनीय है जो निम्न प्रकार है:-

(6) A registered person, who was either paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of the tax payable under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely;

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;


(ii) the said registered person is not paying tax under section 10;


- (iii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;
- (iv) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of inputs; and
- (v) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day.

धारा- 140(6)के प्रावधान ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में है जो विद्यमान विधि के अन्तर्गत संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहे थे। उपरोक्तानुसार उद्धृत विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो मूल्य वर्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत नियत दर पर अथवा संदाय योग्य कर के एवज में नियत रकम का संदाय कर रहे थे तो वह उपरोक्त 5 शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को उनके पास स्टॉक में उपलब्ध अर्द्धनिर्मित अथवा निर्मित माल पर अदा किये गये कर को अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने के हकदार होंगे। इस धारा के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रतिबन्ध अन्तर्निहित नहीं है जो विद्यमान विधि में इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल और सेवा कर के अधीन भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य न करता हो।

10. प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आवेदक द्वारा स्वयं को वैट प्रणाली में कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है जिसकी पुष्टि अधिकारिता रखने वाले अधिकारी द्वारा की गयी है, अतः सन्दर्भित धारा के प्रावधान आवेदक के सम्बन्ध में लागू होते हैं। इस प्रकार आवेदक द्वारा धारा- 140(6) में निहित उपरोक्त पाँचों शर्तों का अनुपालन किये जाने की दशा में उन्हें नियत तिथि को उनके पास उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य होगा।

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदक द्वारा नियत तिथि को उनके पास उपलब्ध माल पर इनपुट क्रेडिट अनुमन्य होने के सम्बन्ध में अग्रिम विनिर्णय हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।


अमित गुप्ता (सदस्य)
AMIT GUPTA (MEMBER)


विपिन चन्द्र (सदस्य)
VIPIN CHANDRA (MEMBER)

To

सर्वश्री नेशनल कन्स्ट्रक्शन,
M/s National Construction,
16, आवास विकास, एन0ए0-87
16, Awas Vikas, NH-87
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
Rudrapur, U.S. Nagar, Uttarakhand.

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी उत्तराखण्ड (माल और सेवा कर)

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

रिंग रोड, अपर नत्थनवाला, देहरादून।

फाईल सं० : 06/2017-18/अग्रिम विनिर्णय/देहरादून

दिनांक:

प्रेषण संख्या:- 323 /दिनांक- 20.04.2018.

प्रतिलिपि:

- 1- मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., मेरठ जोन, मेरठ।
- 2- आयुक्त, सी.जी.एस.टी., देहरादून।
- 3- आयुक्त कर, देहरादून
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक), रूद्रपुर सम्भाग, रूद्रपुर।
- 5- डिप्टी कमिश्नर, (कर-निर्धारण)-1, रूद्रपुर।
- 6- गार्ड फाईल।